



कार्यालय जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) एवं  
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा), जिला परिषद बांसवाड़ा  
दूरभाष : 02962-240812, फ़ैक्स 02962-248360, ईमेल : pd-ban-rj@nic.in


क्रमांक :- जिप/बांस/ईजीएस/सा.अ./19-20/२७१

दिनांक :- 12/6/19

--:: सामाजिक अंकेक्षण संसाधन व्यक्ति हेतु आवेदन ::--

निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्रांक एफ 61 (24) ग्रावि/नि.सा.अ./19-20/799 दिनांक 20.05.2019 की पालना में महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु सामाजिक अंकेक्षण समिति में ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर आमंत्रित किए जाते हैं।


आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2019 से 20.06.2019 तक आमंत्रित किये जाते हैं। उपरोक्त पदों हेतु आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता एवं अन्य नियम व शर्तें [www.banswara.rajasthan.gov.in](http://www.banswara.rajasthan.gov.in) की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

  
(गोविन्द सिंह राणावत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं  
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
(MGNREGA) जिला परिषद, बांसवाड़ा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि. जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक बांसवाड़ा।
3. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस पं.स. आनन्दपुरी/बागीदौरा/गढी/घाटोल/कुशलगढ़/सज्जनगढ़/छोटी सरवन/तलवाड़ा/बांसवाड़ा/अस्थूना/गांगडतलाई को भेजकर लेख है कि उक्त आवेदन पत्रों का संग्रहण कर नियमानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी बांसवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, बांसवाड़ा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त विज्ञप्ति श्वेत श्याम में (केवल बांसवाड़ा संस्करण में) न्यूनतम साईज में डीपीआर दरों में प्रकाशित करे एवं बिल का भुगतान बांसवाड़ा संस्करण का ही देय होगा।



(गोविन्द सिंह राणावत)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं  
अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक  
(MGNREGA) जिला परिषद, बांसवाड़ा



राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण

(E mail : [socialaudit\\_raj@yahoo.com](mailto:socialaudit_raj@yahoo.com), [socialaudit.raj@gmail.com](mailto:socialaudit.raj@gmail.com), Tel. 2227033)

क्रमांक: एफ.61(24) ग्रावि./म.न./नि.सा.अ./19-20/799

जयपुर दिनांक: 20/5/19

जिला कलक्टर एवं  
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),  
समस्त

दिनांक: 27/5/19  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)

20 MAY 2019

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों व ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही के संबंध में।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 17 एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 में ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत संचालित समस्त कार्यों/आवासों का ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान है। इन्ही प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य तथा ग्राम सभाओं का आयोजन किये जाने हेतु ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों तथा ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही निम्नानुसार प्रारम्भ की जावे :-

1. सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन एवं प्रशिक्षण :-

- (1.1) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण प्रयोजन के लिए प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों से जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षित कर समुचित संसाधनों सहित अभिनियोजित किया जाना है।
- (1.2) सामाजिक अंकेक्षण समिति में कुल 6 सदस्य होंगे जिनमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति तथा 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति सम्मिलित होंगे। सामाजिक अंकेक्षण समिति के सभी सदस्य (एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति)- उस ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे जिसका सामाजिक अंकेक्षण उनके द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के नेतृत्व में 5 ग्राम संसाधन व्यक्ति ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कार्य करेंगे।

2. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन समिति एवं अन्य शर्तें निम्न प्रकार है :-

(2.1) शैक्षणिक योग्यता :-

- (अ) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :- कम से कम स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास
- (ब) ग्राम संसाधन व्यक्ति :- कम से कम माध्यमिक परीक्षा पास (बारहवी पास या स्नातक को वरीयता)

(2.2) अनुभव एवं सदस्यता :-

- (अ) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :- प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे-भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन) से ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं। सेवा निवृत्त केन्द्रीय एवं राज्य सेवा के कर्मचारी व बैंक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों के लिए 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।
- (ब) ग्राम संसाधन व्यक्ति:- प्राथमिक पणधारियों और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (जैसे-भूतपूर्व सैनिक कल्याण सोसायटी, पेन्शनर्स वेलफेयर सोसायटी एवं अन्य संगठन



जैसे- महिला स्वयं सहायता समूह) से ऐसे व्यक्तियों को चयनित किया जाना है जो जनता के अधिकारों के लिए कार्य करने का ज्ञान और अनुभव रखते हैं।

(स) ब्लॉक संसाधन (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRP) के आगामी चयन प्रक्रिया में राजीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्याओं जो कि ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP) एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP) की चयन की पात्रता रखती हों, उन्हें प्राथमिकता दी जावे।

(2.3) आयु - 21 से 65 वर्ष

(2.4) पैनल - सामाजिक अंकेक्षण के लिए ब्लॉक स्तर पर आवश्यक ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का 3 गुणा एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक ग्राम संसाधन व्यक्तियों का 3 गुणा तक की सीमा में पैनल तैयार किया जाएगा।

(2.5) चयन समिति -

(अ) ब्लॉक संसाधन व्यक्ति :- चयन समिति जिला स्तर पर निम्नलिखित पदाधिकारियों में से बनाई जा सकती है :-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- परियोजना अधिकारी (लेखा)
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- उपखण्ड अधिकारी
- ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
- लेखाधिकारी आंतरिक जांच दल
- सहायक अभियन्ता, आंतरिक जांच दल
- जिला संसाधन व्यक्ति

(ब) ग्राम संसाधन व्यक्ति :- चयन समितियाँ निम्नलिखित पदाधिकारियों की बनाई जायेगी:-

- ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
- पटवारी
- अध्यापक
- निदेशालय द्वारा नामांकित कर्मचारी (पंचायत समिति में पदस्थापित लेखाकार/क0लेखाकार)

(2.6) चयन प्रक्रिया -

- सर्वप्रथम जिला स्तर पर पंचायत समितिवार ब्लॉक संसाधन एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु नियमानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित करवाई जावे।
- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र जिले के प्रत्येक ब्लॉक पर एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मंगवाये जावें।
- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को जिला स्तर पर संग्रहित एवं परीक्षण कर निर्धारित चयन समिति द्वारा प्रत्येक ब्लॉक के लिए आवश्यक ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा तथा चयनित व्यक्तियों के अतिरिक्त इनके दो गुणा व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा।
- इसी प्रकार ग्राम संसाधन व्यक्तियों के प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को ब्लॉक स्तर पर संग्रहित एवं परीक्षण कर निर्धारित चयन समिति द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा तथा इन चयनित व्यक्तियों के अतिरिक्त इनके दो गुणा व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाएगा।

सामाजिक अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण समिति के गठन के समय यह आवश्यक रूप से ध्यान रखा जाए कि समिति का कोई भी सदस्य उस ग्राम पंचायत का निवासी नहीं हो जिसके सामाजिक अंकेक्षण के लिए उसे भेजा जा रहा है।

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन के लिए आवेदन पत्र का मॉडल प्रारूप संलग्न है।

(2.7)

ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की संख्या - चयन समितियों द्वारा ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जाना है, तथा यह भी ध्यान रखा जावे कि एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति लगभग 4 से 8 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण